राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, राजस्थान, पंत कृषि भवन, जयपुर

कमांक प.4( ) नि.उ./रा.यो./ब.स्था./2020–21/ 3864-92 दिनांक- 09.06.2020

उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान– अजमेर/ अलवर/दौसा/ बीकानेर/चूरू/हनुमानगढ/भीलवाड़ा /जालौर/झालावाड/ नागोर / पाली/ स.माधोपुर/उदयपुर/प्रतापगढ/सीकर

विषय :–राज्य योजना के तहत वर्ष 2020–21 में नवीन बगीचों की स्थापना के दिशा–निर्देश एवं भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों के आंवटन बाबत्।

राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में "नवीन बगीचों की स्थापना कार्यकम में स्थानीय आवश्यकतानुसार अनार, किन्नू, संतरा, बेलपत्र, नींबू, अमरूद, आम, सीताफल, बेर आदि फल वृक्ष जो संबंधित जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में चयनित नहीं है, को जोडा गया है। राज्य योजनान्तर्गत जिला अपनी आवश्यकता आनुसार फल वृक्ष का चयन कर नवीनं बगीचों की स्थापना कर सकते है।

1. नये फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान का भुगतान फल वृक्षवार इकाई लागत को आधार मानते हुए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000/– प्रति हैक्टेयर की सीमा के अध्यधीन तीन किस्तों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षो में 60 : 20 : 20 के अनुपात में अनुदान देय होगा। प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम सीमा 4 हैक्टेयर तक सहायता प्राप्त कर सकेगा।
2. कृषक द्वारा ड्रिप संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा एवं ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को पौधे उपलब्ध करवाये जावेंगे।
3. प्रथम वर्ष में कृषकों को क्षेत्र के अनुसार आवश्यक पौधे से 10 प्रतिशत अधिक पौधे उपलब्ध करवाये जावेंगे।
4. नवीन बगीचा स्थापना उपरान्त सात दिवस में प्रथम सूचना रिपोर्ट मय फोटोग्राफ निदेशालय में भिजवाई जावे।
5. अनुदान का भुगतान इकाई लागत के अध्यधीन निम्न प्रकार से किया जावेंगाः–

क.सं.	वर्षवार किश्त	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	प्रथम किश्त – ड्रिप की स्थापना एवं आवश्यक पौधों की आपूर्ति पर	ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना के पश्चात कृषकों को पौधों की कीमत की 25 प्रतिशत राशि लेकर पौधे उपलब्ध कराये जावें एवं पौधों की कीमत की 75 प्रतिशत राशि को आपूर्तिकर्ता संस्था को उपलब्ध कराया जावें।	गैप फिलिंग हेतु पौधे	गैप फिलिंग
2	द्वितीय किश्त – पौधे लगाने के 15 दिन बाद समन्वित पोषक तत्व/ कीट व्याधि प्रबंध इत्यादि पर होने वाले व्यय के पेटे	पौधे लगाने के 15 दिन पश्चात 90 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कुल अनुदान राशि (सहायता राशि)की 60 प्रतिशत राशि में से पौधों की कीमत की 75 प्रतिशत राशि को काटकर शेष अनुदान राशि पौषक तत्व/ कीट व्याधि प्रबंधन हेतु कृषकों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे।	फलवृक्षवार कुल अनुदान राशि की 20 प्रतिशत अनुदान राशि (75 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से)	फलवृक्षवार कुल अनुदान राशि की 20 प्रतिशत अनुदान राशि (90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से)

Scanned with CamScanner

कृषक का चयन :

1. कृषकों का चयन पहले 'आओ पहले पाओ' के आधार पर किय जावें।
2. फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किया जावें।
3. कृषकों के चयन में पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जावें।
4. चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
5. कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद-बूंद सिंचाई विधि अपनाने पर सहमत हो।
6. आधुनिक हाईटेक बागवानी अपनाने के इच्छुक कृषकों को चयन में प्राथमिकता दी जावें।

अन्य दिशा निर्देश राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अनुसार रहेंगे।

राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में नवीन बगीचों की स्थापना हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन Annexure-2 के अनुसार है। सभी जिला अधिकारियां को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जावे।

(वी. सरवन कुमार) IAS
आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर

कमांक प.4( ) नि.उ./रा.यो./ब.स्था./2020-21/ 3864-92 दिनांक 09.06.2020

3864-92
09.06.2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक उद्यान, (नर्सरी) उधान, निदेशालय जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी (उद्यान), उधान, निदेशालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार राज्य योजनान्तर्गत जिलों को श्रेणीवार बजट आवंटन करावे।
3. संयुक्त निदेशक /उप निदेशक उद्यान, संभाग समस्त
4. उप निदेशक उद्यान, (सांख्यिकी) उद्यान निदेशालय, जयपुर।

आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

Annexure -2

District-wise Physical and Financial target of Establishment Of Fruit Orchards under State Plan for the year 2020-21

S. N.	District	Physical Target(Ha)												Financial Achiv. (Rs. In Lakh)												G.Total			
		New orchrds				Frist yr maintenance				Second yr maintenance				New orchrds				Frist yr maintenance				Second yr maintenance							
		GEN	SCP	TSP	Total	GEN	SCP	TSP	Total	GEN	SCP	TSP	Total	GEN	SCP	TSP	Total	GEN	SCP	TSP	Total	GEN	SCP	TSP	Total	GEN	SCP	TSP	Total
1	Ajmer	1	1	1	3	0	2	0	2	2	0	0	2	0.18	0.18	0.18	0.54	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0	0	0.12	0.30	0.30	0.18	0.78
2	Alwar				0	0	0	0	0	6	0	0	6	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0	0	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36
3	Bhilwara				0	1	1	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.06	0.06	0.00	0.12	0	0	0	0	0.06	0.06	0.00	0.12
4	Bikaner	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.18	0.18	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.18	0.18	0.18	0.54
5	Churu	1	1	0.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.18	0.09	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.18	0.18	0.09	0.45
6	Dausa	1	1	0.85	2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.18	0.15	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.18	0.18	0.15	0.51
7	H.garh	2	1	0.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36	0.18	0.09	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.36	0.18	0.09	0.63
8	Jalor -				0	2	0	0	2	7	0	0	7	0.00	0.00	0.00	0	0.12	0.00	0.00	0.12	0.42	0	0	0.42	0.54	0.00	0.00	0.54
9	Jhalawar				0	31	1	2	34	17	0	3	20	0.00	0.00	0.00	0	1.86	0.06	0.12	2.04	1.02	0	0.2	1.2	2.88	0.06	0.30	3.24
10	Nagaur				0	2	0	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.12	0.00	0.00	0.12	0	0	0	0	0.12	0.00	0.00	0.12
11	Pali				0	2	0	0	2	7	0	0	7	0.00	0.00	0.00	0	0.12	0.00	0.00	0.12	0.42	0	0	0.42	0.54	0.00	0.00	0.54
12	Pratapgarh	1.4	1	0.5	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.18	0.09	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.25	0.18	0.09	0.52
13	Sikar	2	1	0.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36	0.18	0.09	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.36	0.18	0.09	0.63
14	S. Madhopur				0	0	0	0	0	3	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0	0	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18
15	Udaipur	2	1.65	1	4.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36	0.30	0.18	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.36	0.30	0.18	0.84
Total		11.4	8.65	5.9	25.9	38	4	2	44	42	0	3	45	2.05	1.56	1.05	4.66	2.28	0.24	0.12	2.64	2.52	0	0.2	2.7	6.85	1.8	1.4	10.00

(वी. सरवन कुमार) IAS
आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर

0

Scanned with CamScanner